राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः डीसी / डी–1 / विधानसभा / 2011 / दिनांकः–

आदेश

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र दिनांक 15.02.2011 से प्रारंभ होने जा रहा है। सत्र के दौरान विधानसभा प्रश्नों / ध्यानकर्षण प्रस्तावों एवं संवेदनशील बिन्दुओं का प्रत्युत्तर तत्काल दिया जाना आवश्यक है। अतः संगठन के समस्त सहायक औषधि नियंत्रक / औषधि नियंत्रण अधिकारियों को आदेश दिये जाते है कि वे विधानसभा सत्र के दौरान अपने सक्षम अधिकारी एवं संगठन की पूर्व अनुमति के बिना अपना कार्यालय नहीं छोडे।

70
10/2/11

sd
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान।
2. औषधि नियंत्रक, द्वितीय, मुख्यालय।
3. उप निदेशक (विधानसभा) मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें / समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि सहायक औषधि नियंत्रकों / औषधि नियंत्रण अधिकारियों को मुख्यालय छोडने की अनुमति से पूर्व संबंधित अधिकारी को अवकाशकालीन पता व फोन नंबर कृपया अवश्य प्राप्त करे।
5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आप यह सुनिनिश्चत करें कि विधानसभा सत्र के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारी अपने मुख्यालय पर ही रहे एवं किसी भी औषधि नियंत्रण अधिकारी को विशेष परिस्थितियों के अलावा मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान की जाती है तो संबंधित सूचना समय पर उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था कराना सुनिनिश्चित करने के उपरांत ही अनुमति दी जावे।
6. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि विधानसभा सत्र के दौरान बिना लिखित पूर्व अनुमति के कार्यालय / मुख्यालय नहीं छोडे, अन्यथा आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
7. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, औषधि नियंत्रण संगठन, मुख्यालय।
8. विधानसभा पत्रावली / आदेश पत्रावली

9. सर्वर रूम इन्चार्ज

औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर